न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः— मुक्तानन्द अग्रवाल, I.A.S.

प्रकरण संख्या —83/2016 (अपील)

1. बजरंगलाल आत्मज स्व0 श्री केशरा उर्फ केशरीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

——अपीलाण्ट.

बनाम

1. श्रीमति सोसर बाई पुत्री स्व0 श्री केशरा उर्फ केशरीलाल पत्नि श्री बिरधीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम नयाखेडा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)
2. राजस्थन सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

———रेस्पोडेन्ट.

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व तहसीलदार लाडपुरा आदेश दिनांक 14.12.2010 ग्राम ताथेड़ ।

उपस्थिति

1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री रामकिशन वर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक— 16.07.019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा नामा0 सं0 956 आदेश दिनांक 14.12.2010 को आदेश पारित किया कि " मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व जांच आई0एल0आर0 मृतका पारी बाई के हिस्से पर सजरानुसार वारिसान का नाम दर्ज स्वीकार है ।"

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में वकील अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 15.2.2016 को धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर कथन किया है कि अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट कम—1 एवं स्व0 श्रीमति पारी बाई के पिता श्री केशरा उर्फ केशरीलाल जी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में खसरा नम्बर 717 की रकबा 0.51 हे0, खसरा नम्बर 1226/699 की रकबा 0.22 हे0 कुल 2 किता की 0.53 हे0 कृषि आराजीयात वाके ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित चली आ रही थी । केशरा उर्फ केशरीलाल जी की उपरोक्त आराजीयात के अलावा उनकी गैर खातेदारी एवं कब्जे काश्त में खसरा नम्बर 744/937 की रकबा 0.14 हे0, खसरा नम्बर 730 की रकबा 0.17 हे0, खसरा नम्बर 731 की रकबा 0.14 हे0, खसरा नम्बर 733/977 की रकबा 0.10 हे0 जुमला 4 किता 0.55 हे0 कृषि आराजीयात वाके ग्राम ताथेड में स्थित चली आ रही थी । केशरा उर्फ केशरीलाल जी का स्वर्गवास 22—23 वर्ष पूर्व होने के उपरान्त उपरोक्त वर्णित आराजीयात उनके वारिस एवं उत्तराधिकारी होने से बजरंगलाल (पुत्र) , पारी बाई, सोसर बाई (पुत्रियां) तथा आनन्दी बाई (बेवा) की खातेदारी एवं गैर खातेदारी में दर्ज की गई

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

थी । अपीलान्ट की माता श्रीमति आनन्दी बाई का भी स्वर्गवास हो चुका है । इस प्रकार उपरोक्त समस्त आराजीयात बजरंगलाल पुत्र केशरा, पारी बाई, सोसर बाई पुत्रियां केशरा के खातेदारी तथा गैर खातेदारी में सम्भाग से 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार दर्ज चली आ रही थी । अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट कम–1 की सगी बहन श्रीमति पारी बाई का विवाह कालू जी आत्मज श्री हीराजी जाति बलाई निवासी ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा से हुआ था । श्रीमति पारी बाई तथा कालू जी के कोई संतान नहीं थी । यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि श्रीमति पारी बाई को उपरोक्त सम्पूर्ण आराजीयात उसके पिता केशरा जी के स्वर्गवास के उपरान्त उनकी उत्तराधिकारी होने से अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट कम–1 के साथ साथ सम्भाग से प्राप्त हुई थी । इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार श्रीमति पारी बाई को उक्त कृषि आराजीयात उसके पिता से प्राप्त होने एवं उसके कोई संतान नहीं होने के कारण श्रीमति पारी बाई की मृत्यु होने से सह खातेदार पारी बाई के सगे भाई एवं बहने होने से पारी बाई के सम्भाग से उत्तराधिकारी हुये । श्रीमति पारी बाई के पति कालू जी कानून के अनुसार पारी बाई के उत्तराधिकारी नहीं है । इस कारण नामान्तकरण जैर अपील सर्वथा गलत, अवैध, त्रुटिपूर्ण,मनमाना एवं अधिकार विहिन होने से निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण जैर अपील निरस्त फरमाया जावें तथा श्रीमति पारीबाई के खाते व हिस्से की भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 के खाते अधिनियम सम्भाग से दर्ज किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । वकील उभय पक्ष उपस्थित । वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि श्रीमति पारी बाई को उपोक्त सम्पूर्ण आराजीयात उसके पिता केशरा जी के स्वर्गवास के उपरान्त उनकी उत्तराधिकारी होने से अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट कम–1 के साथ साथ सम्भाग से प्राप्त हुई थी । इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार श्रीमति पारी बाई को उक्त कृषि आराजीयात उसके पिता से प्राप्त होने एवं उसके कोई संतान नहीं होने के कारण श्रीमति पारी बाई की मृत्यु होने से सह खातेदार पारी बाई के सगे भाई एवं बहने होने से पारी बाई के सम्भाग से उत्तराधिकारी हुये । श्रीमति पारी बाई के पति कालू जी कानून के अनुसार पारी बाई के उत्तराधिकार नहीं होने से नामा0 जैर अपील सर्वथा गलत अवैध, त्रुटिपूर्ण, मनमाना एवं अधिकार विहिन होने से निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें । वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के पक्ष Hindu succession Act 1956 की धारा 15(2) की ओर ध्यान आकर्षित कराया ।

5. रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील नामा0 सं0 956 के सम्बन्ध में मृतका पारीबाई के प्राकृतिक वारिसों के पक्ष में फैसला किया जावें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15.02.2016 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं धारा 96 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र

Scanned by CamScanner

धारा 5 लिमिटेशन एक्ट एवं धारा 96 सी0पी0सी0 के सम्बन्ध में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की और ना ही अपनी बहस में खण्डन किया है, इस हेतु उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट एवं धारा 96 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाता है ।

7. वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथापत्रावली का अवलोकन किया गया । नामा0 सं0 956 दिनांक 14.12.2010 के अनुसार पारी बाई की मृत्यु हो जाने से उसके कोई पुत्र व पुत्री नहीं होने से उक्त नामा0 पारी बाई के पति कालू पुत्र हीरा के नाम खोला गया है । पत्रावली में संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार कालूलाल पुत्र हीरालाल की मृत्यु दिनांक 18.10.2012 को हो चुकी है, ऐसी स्थिति में पारी बाई के प्राकृतिक वारिस अपीलान्ट एवं अन्य भाई बहिन होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है ।

8. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.12.2010 नामा0 सं0 956 ग्राम ताथेड़ तहसील लाडपुरा निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि पारी बाई के प्राकृतिक एवं विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नवीन आदेश पारित करें ।

9. निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner